364

उपाध्यक्ष,

प्राधिकरण की दिनांक 15-1-1992 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त तैयार करा दिया गया है जो दांयी ओर अवलोकनार्थ संलग्न है । उचित समझें तो कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करें ।

21.1.92.

सचिव,
मदेविप्रा ।

28/1/92

29/1/92

364

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-1-1992 में सदस्यों/ अधिकारियों की उपस्थिति :-

1- श्री एस0एस0पांगती, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ---- अध्यक्ष
2- श्री संजीव सरन, उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 ---- उपाध्यक्ष ।
3- श्री शिशिर प्रियदर्शी, जिलाधिकारी, देहरादून ---- सदस्य
4- श्री एस0सी0बहुखण्डी, संयुक्त सचिव, आवास, उ0प्र0शासन --- प्रतिनिधि सदस्य ।
5- श्री श्री कृष्ण, विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0शासन-- प्रतिनिधि सदस्य ।
6- श्री प्रताप सिंह, विशेष सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग---- प्रतिनिधि सदस्य ।
7- श्री अरूण आर्य, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन---- प्रतिनिधि सदस्य ।
8- श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून ---- सदस्य ।
9- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी । ---- सदस्य ।
10- श्री के0एल0शाह, सहायक निदेशक पर्यटन उ0प्र0 ---- प्रतिनिधि सदस्य ।
11- श्री आशुतोष त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम-- सदस्य ।
12- श्री एस0के0 अग्रवाल, महाप्रबन्धक, जि0उ0के0 दे0दून -- सदस्य ।
13- श्री एस0के0 गुप्ता, अधि0अभि0 (निर्माण खण्ड) लो0नि0वि0- प्रतिनिधि सदस्य ।

अन्य उपस्थिति :-

1- श्रीमती सुनिष्ठा सिंह, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
2- श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
3- श्री बी0डी0जसोला, परगनाधिकारी, मसूरी ।
4- श्री रामपाल, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
5- श्री बी0वी0 रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, दे0दून ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का परिचय कराया गया । तदोपरान्त उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई । एजेन्डा नोट में इंगित बिन्दुओं को प्रारम्भ करने से पूर्व श्री एस0सी0 बहुखण्डी, संयुक्त सचिव, आवास विभाग उ0प्र0शासन ने यह कथन प्रस्तुत किया कि एजेन्डा नोट प्रायः बैठक की तिथि से एक-दो दिन पूर्व ही प्राप्त होते है जिससे एजेन्डा का समग्र रूप से अध्ययन संभव नहीं हो पाता है । निर्देश दिए गए कि भविष्य में एजेन्डा नोट उचित समय पर सभी सदस्यों को भेजे जाया करें । शासन को एजेन्डा नोट बैठक की तिथि से 10 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए ।

(कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक/सचिव)

क्रमशः------2,

§क§ गत बैठक की कार्यवाही :-

गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी तथा सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ पुष्टि की गयी कि दिनांक 16-3-91 की बैठक के विषय क्रमांक-3 के संबंध में निम्न वाक्य को कार्यवृत्त से निकाल दिया जाए :-

"सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मामलें में गठित समिति की आख्या यथाशीघ्र सम्पूर्ण प्रकरण सहित शासन को संदर्भित कर दिया जाए" ।

प्राधिकरण की इस बैठक का कार्यवृत्त बैठक होने की तिथि से 21 दिन के अन्दर समस्त सदस्यों को प्रेषित करने के निर्देश भी दिये गये ।

§कार्यवाही का0अ0/सचिव§

§ख§ गत बैठक की अनुपालन आख्या :-

अनुपालन आख्या पढ़ी गयी । शिवा पैलेस के मामलें में पुन: चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सेंट जोजफ्स ऐकेडेमी से आर0टी0ओ0 कार्यालय तक के क्षेत्र का भूउपयोग "व्यवसायिक से पुन: "आवासीय" में परिवर्तित करने के बारे में अपनी संस्तुतियां देने हेतु जिस उप-समिति का गठन किया गया था,उसकी बैठक यथासमय सम्पन्न हो चुकी है । समिति की संस्तुतियां प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाए । यह भी निर्णय लिया गया कि तब तक न तो इस स्थान पर कोई मानचित्र स्वीकृत किया जाए और न ही कोई अन्य निर्माण होने दिया जाए ।

§कार्यवाही सचिव§

विषय क्रमांक-1 :- मनेरी में स्कूल का निर्माण ।

हॉल ही में उत्तरकाशी जिले में आये प्रलयकारी भूकम्प से मनेरी में जो सरकारी स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है,उसके बारे में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा

क्रमश:------3,

बताया गया कि स्कूल की साईट का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है । स्कूल इमारत के पुर्ननिर्माण में प्राधिकरण द्वारा रू0 3-00 लाख के व्यय के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(कार्यवाही अधि0अभियंता/सचिव)

विषय क्रमांक-2 :- प्राधिकरण के सचिव एवं संयुक्त सचिव को रू0 1500/- मासिक भवन किराया दिये जाने के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर विचारविमर्श के उपरान्त शासन से आये सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि सचिव को नियमानुसार भवन किराया दिया जा सकता है परन्तु संयुक्त सचिव को मासिक भवन किराया दिये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाना उचित होगा । प्रस्ताव पर तदनुसार सहमति प्रदान की गई तथा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही का0अ0/सचिव)

विषय क्रमांक-3 :- ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर नगर आवास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इसकी व्यवहारिकता के बारे में जांच करायी जानी उचित होगी । इस कथन पर उपाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना शहर के लिए पूर्ण रूप से व्यवहारिक है चूंकि इस सम्बन्ध में विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के साथ जिलाधिकारी,देहरादून,पुलिस अधीक्षक,देहरादून तथा आर0टी0ओ0,देहरादून की उपस्थिति में विचारविमर्श हुआ था तथा उन्होनें इस योजना का कार्यान्वयन नगर हित में श्रेयस्कर/व्यवहारिक बताया ।

सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0,गढ़वाल संभागीय नियोजन खण्ड,देहरादून द्वारा इस संदर्भ में बैठक को यह अवगत कराया गया कि देहरादून नगर महायोजना में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु लगभग 62 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है जबकि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में केवल 33 एकड़ भूमि में ही ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है । अत: निर्णय लिया गया कि महायोजना में इस प्रयोजन हेतु

। सम्पूर्ण भूमि को अधिग्रहित किया जाए । परियोजना की फीजिबिलिटी एवं
य प्रबन्ध के बारे में परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु सलाहाकार की नियुक्ति
प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी ।

कुछ व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया है कि ग्राम सेवलाखुर्द में
नं0-177 में उन्होनें प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर
य करली है, अत: उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए । इस सम्बन्ध में
य नगर विकास मंत्री जी उ0प्र0 द्वारा भी उनके आवेदनपत्रों पर यह निर्देश
ये है कि ऐसे व्यक्तियों को प्राधिकरण की अन्य किसी आवासीय योजनाओं
/भूखण्ड उपलब्ध कराये जायें । सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदकों
करण की किसी अन्य आवासीय योजनाओं में सामान्य शर्तों पर प्राथमिकता के
र पर भवन/भूखण्ड उपलब्ध करा दिये जाए ।

इस योजना का डिजाइन तैयार करने हेतु वास्तुविदों के चयन के लिए
वत् कमेटी गठित की गई :-

1- उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0	----	अध्यक्ष
2- अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून	----	सदस्य
3- सहयुक्त नियोजक, देहरादून	----	सदस्य
4- उपपुलिस अधीक्षक{ट्रांसपोर्ट}	----	सदस्य

{कार्यवाही स0न0नि0/सचिव}

य क्रमांक-4 :- बस टर्मिनल योजना के सम्बन्ध में ।

योजना पर व्यापक विचारविमर्श हुआ । सहयुक्त नियोजक, नगर एवं
। नियोजन विभाग उ0प्र0, देहरादून ने अवगत कराया कि महायोजना में बस टर्मिनल
32 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है जबकि प्राधिकरण द्वारा केवल 17-5 एकड़ भूमि
अधिग्रहण किया जा रहा है । बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस 17-5 एकड़
। के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/6 की कार्यवाही हो चुकी
उसकी धनराशि का भुगतान करके तत्काल कब्जा लिया जाए और महायोजनानुसार
रक्षित अवशेष बची भूमि का भी तत्काल अर्जन किया जाए । बैठक में उपाध्यक्ष ने
गत कराया कि बस अड्डे को स्थानान्तरित करने के लिए उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन

क्रमश:-------5,

373

15.1.92

निगम से बातचीत चल रही है । बैठक में निर्णय लिया गया कि बस अड्डे को स्थानान्तरित करने तथा बैकल्पिक व्यवस्था में हरिद्वार रोड़ स्थित निगम के वर्कशॉप को माजरा में स्थानान्तरित करने एवं नगर के मध्य स्थित निगम की दोनों सम्पत्तियों को बस अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में व्यवहारिकता का परीक्षण करा लिया जाए । इस योजना की फिजिबिलिटी, वाइबिलिटी का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु उपाध्यक्ष को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कन्सलटेंट नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया ।

§कार्यवाही स0न0नि0/सं0सचिव§

विषय क्रमांक-5 :- ग्राम सभा अजबपुरकंला क्षेत्रान्तर्गत रिस्पना पुल व रेलवे लाईन के बीच रिस्पना नदी के पश्चिम में स्थित भूमि व रेलवे लाईन से दीप नगर प्राइमरी स्कूल के मध्य स्थित ग्रामसभा की 8.85 हेक्टेअर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना के संबंध में ।

योजना का लेआउट प्लान तथा आक्कलन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तद्युक्त नियोजक द्वारा सलग्न मानचित्र पर अंकित योजना के विभिन्न पहलुओं से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया । सर्वसम्मति से योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्णय लिया गया कि इस पर तत्काल निर्माण कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जाए ।

§कार्यवाही अधि0अभियंता/स0न0नि0§

विषय क्रमांक-6 :- मसूरी हुसैनगंज§नेहरूपुरम§ आवासीय योजना के सम्बन्ध में ।

हुसैनगंज आवासीय योजना के सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ने कहा कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा काफी समय पूर्व कराली गयी है जबकि निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न होने के कारण जनता में रोष है तथा यह भी आशंका व्यक्त की गयी कि यदि किन्हीं कारणोवश हडको द्वारा इस योजना के लिए वित्त पोषण नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में पंजीकृत व्यक्तियों के बारे में प्राधिकरण क्या निर्णय लेगा ? इस पर उपाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया कि चूंकि अब योजना हडको द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशनों के अनुसार

क्रमशः:------6,

संशोधित करा दी गयी है,अत: अब यह संभावना नहीं है कि हडको द्वारा इस योजना का वित्त पोषण न किया जाए ।

अध्यक्ष,नगरपालिका,मसूरी ने यह भी जानना चाहा कि इस योजना के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि योजना के अन्तर्गत अनलोडिंग के लिए जो प्लेटफार्म बनाए जाएगें,उन्ही को बाद में पार्किंग लौट के रूप में विकसित कर दिया जायेगा ।

सर्वसम्मति से योजना का अनुमोदन किया गया और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि योजना में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करली जाए साथही वन विभाग की राय लेते हुए योजना पर निर्माण कार्य आरम्भ करा दिया जाए । साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को कम कीमत पर भवन उपलब्ध कराने के लिए इन्हें अन्य श्रेणी के भवनों से क्रास-सब्सीडाईज किया जाए । यह नीति प्राधिकरण की सभी आवासीय योजनाओं पर लागू होगी ।

§कार्यवाही अधि0अभियंता§

विषय क्रमांक-7 :- <u>एस्लेहॉल तथा परेडग्राउण्ड के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में</u> ।

चूंकि एस्लेहॉल फ्री-होल्ड सम्पत्ति घोषित हो चुकी है और वर्तमान में इसके स्वामित्व के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है,अत: सौन्दर्यीकरण प्रस्ताव को निरस्त किया गया । परेडग्राउण्ड के सौन्दर्यीकरण की योजना के प्रस्ताव को डेफर§Defer§ किया गया । अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून ने गांधी पार्क में water body विकसित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया । निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 एवं अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून नगर में सौन्दर्यीकरण हेतु स्थलों का चयन कर आगामी कार्यवाही करें ।

§कार्यवाही सचिव§

विषय क्रमांक-8 :- <u>मसूरी/देहरादून विकास क्षेत्र में विकास शुल्क निर्धारण करने के संबंध में</u> ।

इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून,अध्यक्ष,नगरपालिका,मसूरी द्वारा यद्यपि आपत्ति प्रकट की गयी परन्तु विकास कार्यों के निर्माण पर बढ़ती हुई लागत को दृष्टिगत रखते हुए अधिकांश सदस्यों का मत था कि देहरादून एवं मसूरी नगर हेतु आवासीय निर्माण के मामलों में वर्तमान में प्रचलित दरों में 50% की वृद्धि तथा व्यवसायिक निर्माण के मामलों में 100% की वृद्धि की जाए । अध्यक्ष,नगरपालिका

क्रमश:------7,

देहरादून तथा मसूरी इससे सहमत नहीं थे । अतः यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ । बढ़ी हुई विकास शुल्क की दरें 31जनवरी,1992 के बाद जमा होनेवाले मानचित्रों पर लागू की जाएगी।

निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में विकास शुल्क की बढ़ी दरों से प्राप्त आय कहाँ-कहाँ तथा किस-किस मद में व्यय की जायेगी,इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए ।

{कार्यवाही सचिव/अधि0अभियंता}

विषय क्रमांक-9 :- अनधिकृत कालोनियों में भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में ।

यह प्रस्ताव प्राधिकरण की अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया ।

{कार्यवाही का0अ0/सचिव}

विषय क्रमांक-10 :- भवन उपविधियों के सम्बन्ध में ।

भवन उपविधियों के सम्बन्ध में यथाप्रस्तावित संशोधनों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया । तदानुसार प्रस्ताव शासन को भेजा जाए ।

{कार्यवाही स0न0नि0/सचिव}

विषय क्रमांक-11 :- प्राधिकरण का वर्ष-1991-92 का पुनरीक्षित एवं 92-93 के अनुमानित बजट का प्रस्तुतिकरण ।

बजट प्रस्ताव पर समयाभाव के कारण विचार न हो सका । अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

{कार्यवाही सले0अ0/सचिव}

विषय क्रमांक-12 :- आवासीय{ग्रुप हाउसिंग सहित} व्यवसायिक औद्योगिक एवं संस्थागत भवनों में बेसमेंट/सेमीबेसमेंट के प्राविधान के संबंध में ।

शासन से आये नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि श्री एस0सी0बहुखण्डी

क्रमशः:------8,

...कट किया कि इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम ...जन विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्देश वापस ले लिये गये है । अत: प्रस्ताव निरस्त ... गया ।

(कार्यवाही स0न0नि0)

...य क्रमांक-13 :- <u>दूरसंचार विभाग द्वारा पटेल नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून में दूरभाष केन्द्र के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।</u>

समस्त सदस्यों द्वारा यह आपत्ति प्रकट की गयी कि संबंधित विभाग ... भवन निर्माण के बारे में पहले ही काफी छूट दी जा चुकी है और जहाँ तक ...वासीय निर्माण का प्रश्न है, इसके लिए संबंधित विभाग को यह सूचित किया जाए ...के आवास के लिए अलग से स्थान प्रस्तावित करलें । कार्यालय भवन की ऊंचाई ...ढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को निरस्त किया गया ।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

<u>विषय क्रमांक-14</u> :- <u>उ0प्र0 वन निगम, देहरादून के 22-ए, कर्जन रोड स्थित कार्यालय भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।</u>

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपविधि के परिपेक्ष्य में मानचित्र का परीक्षण कराते हुए उपाध्यक्ष नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करलें ।

(कार्यवाही सचिव)

<u>विषय क्रमांक-15</u> :- <u>श्री प्रेम कश्यप द्वारा बगराल गॉव, जिला देहरादून में प्रस्तावित इन्टर नेशनल स्कूल चिल्ड्रन ऐकेडेमी के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।</u>

प्रस्ताव पर चर्चा हुई । अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि "ग्रीनबैल्ट" में स्कूल निर्माण की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है । उनके द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि देहरादून नगर महायोजना में "स्कूल/डिग्री कालेज

क्रमश:-------9,

381

हेतु भूमि आरक्षित रक्खी गयी है,अत: यह परीक्षण कराना उचित होगा कि क्या स्कूल हेतु आरक्षित समस्त भूमि उपयोग में लायी जा चुकी है अथवा नहीं । निर्णय लिया गया कि तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । तत्पश्चात प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

§कार्यवाही स०न०नि०/सचिव§

विषय क्रमांक-16 :- वेलहम गर्ल्स हाईस्कूल,देहरादून के ग्राम नकरौन्दा स्थित भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

यह विषय भी पूर्व निर्णीत विषय क्रमांक-15 की प्रकृति जैसा है । अत: इस पर भी तद्नुसार कार्यवाही की जाए ।

§कार्यवाही स०न०नि०/सचिव§

विषय क्रमांक-17 :- श्री दिगम्बर प्रसाद लखेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के क्रम में ग्राम सेबलाकला,परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी ।

प्रस्ताव पर विचारविमर्श हुआ । निर्देश दिये गये कि भूउपयोग परिवर्तन कराने की प्रार्थना करने से संबंधित आवेदक/आवेदकगणों से यह ज्ञात कर लिया जाए कि उनके द्वारा भूउपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का उपयोग परिवर्तन कराने का क्या उद्देश्य है,अर्थात क्या वे भूमि को स्वयं के उपयोग में लायेगें अथवा कालोनाइजेशन करके उसको विक्रय करना चाहेगें । यह जानकारी प्राप्त करते हुए प्रस्ताव पुन: अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

§कार्यवाही स०न०नि०§

विषय क्रमांक-18 :- होटल रीजेन्ट 42/1 ई०सी०रोड,देहरादून के परिवर्तन/परिवर्धन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

इस मानचित्र पर विचारविमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूंकि कुछ निर्माण तोड़कर उससे कम क्षेत्र में प्रथम तल पर निर्माण किया जाना

क्रमश:-------10

...ावित है,अत: मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करदी जाए ।

{कार्यवाही स०न०नि०/सचिव}

...षय कृमांक-19 :- मैं०उत्तरांचल मोटर सेल्स प्रा०लि० द्वारा ख०नं०-164/1 ग्राम नत्थनपुर,देहरादून पर प्रस्तावित सर्विस वर्कशॉप के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

"कृषि" भूउपयोग के अन्तर्गत मानचित्र प्रस्तावित होने के कारण ...र्वसम्मति से निरस्त किया गया ।

{कार्यवाही स०न०नि०/सचिव}

विषय कृमांक-20 :- प्राधिकरण की कालोनियों के रखरखाव के संबंध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव बनाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

{कार्यवाही स०न०नि०/सचिव}

विषय कृमांक-21 :- पी०षी०सी०एल० के कार्यालय भवन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचारविमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "आवासीय" भूउपयोग के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है,अत: निर्देश दिये गये कि तदानुसार पी०षी०सी०एल० द्वारा प्रस्तावित निर्माण मानचित्र को संशोधित कराते हुए मात्र आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी जाए ।

{कार्यवाही स०न०नि०/सचिव}

विषय कृमांक-22 :- श्री रामकुमार वर्मा,टर्नर रोड,देहरादून के शमन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में शासन से आवास विभाग के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया

कृमश:------11,

कि यदि इस प्रकार के शमन सम्बन्धी मामलों में बोर्ड द्वारा शमन शुल्क की धनराशि में छूट दी जाती है तो यह भविष्य के लिए दृष्टान्त बन जायेगा । अतः निर्णय लिया गया कि शमन शुल्क में छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है ।

॥कार्यवाही सचिव॥

<u>विषय क्रमांक-23</u> :- <u>प्रस्तावित तिब्बती बाजार व्यवसायिक योजना के संबंध में</u> ।

प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया ।

॥कार्यवाही का0अ0/सचिव॥

<u>विषय क्रमांक-24</u> :- <u>प्राधिकरण द्वारा कम्पलीशन सर्टीफिकेट लागू करने के संबंध में</u> ।

प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया ।

॥कार्यवाही का0अ0/सचिव॥

एजेन्डा नोट का विषय क्रमांक-25, अतिरिक्त एजेन्डा नोट के विषय क्रमांक-1,2,3,4,5,6,7,8 एवं 9 पर समयाभाव के कारण विचार न हो सका । निर्देश दिए गए कि इन्हे अगली बैठक के एजेन्डा नोट में सर्वप्रथम स्थान देते हुए विचारार्थ प्रस्तुत किए जाए ।

॥कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक॥

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0,देहरादून को प्राधिकरण की ओर से वर्तमान में दिए जा रहे रू0 500/- प्रतिमाह के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव

क्रमशः------12,

रक्खा गया । इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाए ।

(कार्यवाही का०अ०/सचिव)

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

(सुनिष्ठा सिंह),	(संजीव सरन),	(एस०एस०बांगती),
सचिव,	उपाध्यक्ष,	आयुक्त/अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा० ।	म०दे०वि०प्रा० ।	म०दे०वि०प्रा० ।

पुष्टि किया गया
1.6.92